श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इंदौर - **452 007**
दूरभाष : **0731-2432822,** फैक्स: **0731-2536600**
ई-मेल: **commlab@nic.in** वेबसाईट: **http://labour.mp.gov.in**

क्रमांक 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/Q-2 इन्दौर, दिनांक : 10/04/2020

प्रति,

1. **संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश ।**
2. **समस्त उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश ।**
3. **समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश।**
4. **समस्त श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश।**

विषय: **कर्मकारो को कोविड 19 संक्रमण (महामारी) के दौरान वेतन का समय पर भुगतान कराने विषयक।**
सन्दर्भ: **कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/622-723(2)दिनांक 23.3.2020**

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करे।

2. परिपत्र की कंडिका 2 के अनुसार कोविड 19 महामारी के संक्रमण के दौरान कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने के की अवधि में कार्यरत कर्मकारो के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कटौती नहीं की जाना है।

3. वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में पिछले माह के अंतिम दिनों से लगातार कोविड 19 महामारी के संक्रमण की वजह से लॉक डाउन निरंतरित है एवं परिपत्र अनुसार कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिको / कर्मचारियों को लॉक डाउन की अवधि का पूर्ण भुगतान होना है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के अनुसार वे कारखाने या अन्य स्थापनाएं जिनमे 1000 से कम श्रामिक / कर्मचारी कार्यरत है वहाँ मजदूरी / वेतन कालावधि के अंतिम दिन के पश्चात् 7 वे दिन के अवसान के पूर्व एवं जहाँ 1000 से अधिक श्रमिक / कर्मचारी कार्यरत है उनमें 10 वे दिन के अवसान के पूर्व वेतन का भुगतान होना अनिवार्य है।

4. अतः निर्देश दिए जाते है कि समस्त कारखाना निरीक्षक कारखानों में एवं समस्त सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारी अन्य दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों में उक्त परिपत्र के परिपालन में श्रमिकों / कर्मचारियों को उक्तानुसार नियत अवधि में वेतन के भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी अन्य स्त्रोत से श्रमिको / कर्मचारियों को नियत अवधि में नियोजक द्वारा भुगतान नहीं करने की जानकारी प्राप्त होने पर श्रमिको को वेतन का भुगतान कराया जाना एवं नियोजको के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।

(श्रमायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित ।)

सहायक श्रमायुक्त (प्रवर्तन)
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/Q-2 इन्दौर, दिनांक : 10/04/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर श्रम आयुक्त / समस्त उप श्रम आयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक श्रमायुक्त (प्रवर्तन)
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर